N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0067   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/03/2025 13:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 24/03/2025   Date To (दिनांक तक): 25/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 4   Time From (समय से): 15:15 बजे   Time To (समय तक): 11:04 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/03/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 26/03/2025 13:19:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 300 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): UP PANJEEYAK KARYALYA TONK

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** GOPAL LAL SAHU MODI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RADHESHYAM SAHU
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MENHDI BAG TONK, KOTWALI TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MENHDI BAG TONK, KOTWALI TONK, TONK, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIJENDRA KUMAR MEENA		पिता:JAGMOHAN MEENA	1. GRAM POST CHHOTI UDIE,VAJIRPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोक का रहने वाला हु। मैं जिला एवं सेशन न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, टोक में भारतीय मुद्रांक विक्रेता का कार्य करता हू। जिसका मेरे पास लाईसेन्स है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रेल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक नियत है। लाइसेन्स का हर वर्ष नवीनीकरण उप पंजीयक टोक एवं उप महानिरीक्षक मुदांक विभाग अजमेर से होता है। इस वर्ष भी मैंने लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन 100 रूपये की रसीद दिनांक 08.03.2025 को कटवा दी थी एवं मेरे द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। दिनांक 17.03.2025 को मैं कार्यालय उप पंजीयक टोक में जाकर डीलिंग बाबू श्री विजेन्द्र जी से मिला तथा अपने लाईसेन्स नवीनीकरण के लिये बातचीत की तो उन्होने कहाँ कि आपको 100 रूपये कि विलम्ब शुल्क की रसीद और कटवानी पडेगी तथा 2000 मुझे देने पडेगे। मैने कहाँ कि 2000 रूपये किस बात के देने पडेगे तो कहने लगे कि जब मुझे आप 2000 रूपये दोगे तब ही आपका लाईसेन्स नवीनीकरण होगा नही तो मैं आपका लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिषंषा उप पंजीयक टोक से नही करवाउगॉ। इस पर आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा विलम्ब शुल्क 100 रूपये की रसीद भी कटवा ली है। लेकिन श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक मेरा लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु उप पंजीयक टोक से अभिषंषा करवाने और उप महानिरीक्षक मुदांक विभाग अजमेर से लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक को रिश्वत नही देना चाहता हु तथा रिष्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोंक। मोबाईल नम्बर [redacted] कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक दिनांक 24.03.2025 समय 3.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोक ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं मेंहदी बाग, टोक का रहने वाला हु। मैं जिला एवं सेशन न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, टोक में भारतीय मुद्रांक विक्रेता का कार्य करता हु। जिसका मेरे पास लाईसेन्स है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रेल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक नियत है। लाइसेन्स का हर वर्ष नवीनीकरण उप पंजीयक टोक एवं उप महानिरीक्षक मुद्रांक विभाग अजमेर से होता है। इस वर्ष भी मैंने लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन 100 रूपये की रसीद दिनांक 08.03.2025 को कटवा दी थी एवं मेरे द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। दिनांक 17.03.2025 को मैं कार्यालय उप पंजीयक टोक में जाकर डीलिंग बाबू श्री विजेन्द्र जी से मिला तथा अपने लाईसेन्स नवीनीकरण के लिये बातचीत की तो उन्होने कहाँ कि आपको 100 रूपये कि विलम्ब शुल्क की रसीद और कटवानी पडेगी तथा 2000 मुझे देने पडेगे। मैने कहाँ कि 2000 रूपये किस बात के देने पडेगे तो कहने लगे कि जब मुझे आप 2000 रूपये दोगे तब ही आपका लाईसेन्स नवीनीकरण होगा नही तो मैं आपका लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिषंषा उप पंजीयक टोक से नही करवाउगॉ। इस पर आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा विलम्ब शुल्क 100 रूपये की रसीद भी कटवा ली है। लेकिन श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक मेरा लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु उप पंजीयक टोक से अभिषंषा करवाने और उप महानिरीक्षक मुदांक विभाग अजमेर से लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले में श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक को रिश्वत नही देना चाहता हु तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी श्री विजेन्द्र जी बाबू जी उप पंजीयक टोक से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी श्री गोपाल लाल साहु को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 3.50 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईस की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक उप पंजीयक टोक से मिलकर अपने लाईसेन्स नवीनीकरण तथा रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करूगॉं। अतः कानि0 राजकुमार 160 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कानि0 राजकुमार 160 को सुपुर्द कर समय 04.24 पी.एम पर वायस रिकार्डर को चालू करवाकर परिवादी गोपाल लाल को सुपुर्द करवाकर परिवादी एवं राजकुमार कानि. 160 को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन उप पंजीयक कार्यालय टोंक रवाना किया जाता है। समय 5 पी.एम पर राजकुमार कानि मय परिवादी श्री गोपाल लाल साहु के कार्यालय मे उपस्थित आया। कानि ने सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि कार्यालय से मैं और परिवादी श्री गोपाल लाल रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय टोक के बाहर पहुचे। परिवादी को आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय उप पंजीयक टोक के लिये रवाना कर मैं उप पंजीयक कार्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी वापस आया और मुझे चालू डिजिटल वाईस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसको लेकर मैने बन्द किया। परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरी वार्ता विजेन्द्र कुमार मीना से हो गई है उन्होने मेरे भारतीय मुद्रांक विक्रेता लाईसेन्स के नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे निवेदन करने पर 1500 रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया तथा उसी समय 500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की तथा शेष रिश्वत राशि 1000 रूपये कल दिनांक 25.03.2025 को देने हेतु कहां। फिर मै व परिवादी उप पंजीयक कार्यालय टोक से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर आये है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने कानि. के कथनो की ताईद की। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। समय 6 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल लाल साहु को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 25.03.2025 को ए.सी.बी. चौकी पर समय 9 ए.एम. पर उपस्थित आने हेतु उचित हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया। दिनांक 25.03.2025 समय 8.50 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी सहादत अस्पताल टोक के नाम तहरीर लिखकर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु श्री जलसिंह कानि. 248 को रवाना किया गया। समय 9.05 ए.एम. पर परिवादी श्री गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोक उपस्थित आया। समय 9.20 ए.एम. पर श्री जलसिंह कानि. 248 कार्यालय प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी सहादत अस्पताल टोक से मय दो स्वतन्त्र गवाह 1. श्री विकास वैष्णव पुत्र श्री सीताराम शर्मा जाति बाह्मण उम्र 37 साल निवासी 3/231 हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी टोक हाल नर्सिंग अधिकारी राजकीय सहादत चिकित्सालय टोक मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री मनोज कुमार इन्दोरिया पुत्र श्री रामदेव जाति रेगर उम्र 42 साल निवासी नानेर तहसील पीपलू जिला टोक हाल नर्सिंग अधिकारी राजकीय सहादत चिकित्सालय टोक मोबाईल नम्बर [redacted]उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री गोपाल लाल साहु से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.03.2025 के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 10.15 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्वा परिवादी श्री गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोक को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 2 नोट कुल राशि 1000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी गोपाल लाल साहु के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री विकास वैष्णव से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर रिश्वत में दी जाने वाली उक्त पावडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने मोबाईल से राजकुमार कानि. के मोबाईल पर मिस कॉल करने का रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.55 ए.एम. पर राजकुमार कानि 160 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द कर परिवादी व राजकुमार कानि. 160 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, जलसिंह कानि. 248 मय स्वतंत्र गवाहान श्री विकास वैष्णव, श्री मनोज कुमार तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 64 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री अजित सिंह कानि. 56 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के उप पंजीयक कार्यालय टोक के लिये रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 को छोडा गया। समय 11 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा तहसील कार्यालय से पहले आम रोड पर रूका तथा राजकुमार कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कराकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूर्द कर पैदल-पैदल उप पंजीयक कार्यालय टोक पर भेजा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान उप पंजीयक कार्यालय टोक के पास सुरक्षित स्थान पर परिवादी के ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय 1.15 पी.एम दर्ज रहे कि परिवादी श्री गोपाल लाल साहु (मोदी) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम साहु जाति तेली उम्र 51 साल निवासी मेंहदी बाग टोक ने समय 11.04 ए. एम. पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से राजकुमार कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर अपने मोबाईल से मिस कॉल कर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, मय सरकारी बोलेरो मय मय चालक गणेश सिंह 375 ट्रैप बाक्स के परिवादी के पास उप पंजीयक कार्यालय टोक के रिकार्ड रूम में पहुचा। परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु हालत मे प्रस्तुत किया जिसको लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास रखा, जहाँ पर परिवादी के पास एक व्यक्ति खडा हुआ था। जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर कहा कि यह विजेन्द्र मीना जी बाबू जी है जो उप पंजीयक कार्यालय में कार्य करते है। आज मैं इनके कार्यालय में जाकर इनसे मिला तथा अपने भारतीय मुद्रांक विक्रेता लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु बातचीत की। फिर विजेन्द्र जी मुझे अपने साथ उपर रिकार्ड रूम में लेकर आ गया तथा उपर आने के बाद भी विजेन्द्र जी से मैने अपने लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने हेतु कहा तो विजेन्द्र जी ने रिश्वत राशि देने हेतु ईशारा किया तथा रिश्वत राशि अपनी टेबल पर पडे रजिस्टर में रखने हेतु हाथ से ईशारा किया। जिस पर मैने इनके कहेनुसार/ ईशारानुसार रिश्वत राशि इनकी टेबल पर पडे रजिस्टर में रखी थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जगमोहन मीना जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक बताया तथा कार्यालय उप पंजीयक टोक में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित होना बताया तथा भारतीय मुद्रांक के लाईसेन्स नवीनीकरण करने, रिकार्ड संधारण करने तथा नकल तैयार करने का कार्य करना बताया। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली न ही मैने परिवादी से कोई रिश्वत राशि देने हेतु कहा है न ही मेरे पास कोई रिश्वत राशि है तथा मैने परिवादी को मेरी टेबल के रजिस्टर में रिश्वत राशि रखने हेतु नही कहा है। इस पर परिवादी ने स्वतः ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताया कि मैं जिला एवं सेशन न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, टोक में भारतीय मुदांक विक्रेता का कार्य करता हु। जिसका मेरे पास लाइसेन्स है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रेल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक नियत है। लाइसेन्स का हर वर्ष नवीनीकरण उप पंजीयक टोक एवं उप महानिरीक्षक मुदांक विभाग अजमेर से होता है।

इस वर्ष भी मैंने लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन 100 रूपये की रसीद दिनांक 08.03.2025 को कटवा दी थी एवं मेरे द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। दिनांक 17.03.2025 को मैं कार्यालय उप पंजीयक टोक में जाकर डीलिंग बाबू श्री विजेन्द्र जी से मिला तथा अपने लाईसेन्स नवीनीकरण के लिये बातचीत की तो उन्होने कहाँ कि आपको 100 रूपये के विलम्ब शुल्क की रसीद और कटवानी पडेगी तथा 2000 मुझे देने पडेगे। मैने कहाँ कि 2000 रूपये किस बात के देने पडेगे तो कहने लगे कि जब मुझे आप 2000 रूपये दोगे तब ही आपका लाईसेन्स नवीनीकरण होगा नही तो मैं आपका लाईसेन्स नवीनीकरण की अभिशषा उप पंजीयक टोक से नही करवाउगाँ। कल दिनांक 24.03.2025 को आपके कार्यालय पर शिकायत की थी। शिकायत करने के बाद कल मैं विजेन्द्र जी बाबूजी से इनके कार्यालय में आकर मिला तो इन्होने मुझसे मेरा भारतीय मुद्रांक विक्रेता का लाईसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरे निवेदन करने पर 1500 रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया तथा उसी समय 500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की तथा शेष राशि 1000 रूपये आज दिनांक 25.03.2025 को देने हेतु कहा। इनकी मांग के अनुसरण में आज मैने इनको 1000 रूपये रिश्वत राशि इनके द्वारा किये गये ईशारानुसार इनकी टेबल पर पडे रजिस्टर में रखी थी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना को पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई माफी चाहता हू। मुझे बचा लो। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उप पंजीयक कार्यालय परिसर से श्री जलसिंह कानि. 248 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विजेन्द्र मीना के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के साफ पानी में सोडिरूम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर तैया कराये गये पानी के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विजेन्द्र मीना के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे हाजरीन को दिखाने पर हाजरिन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय में रखी टेबल पर रखे रजिस्टर बंरग स्लेटी को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार से उठवाया गया तथा रजिस्टर का अवलोकन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया तो रजिस्टर पर बुक नम्बर 1, 621/622 लिखा हुआ है तथा पेज नम्बर 1 से 374 है। उक्त रजिस्टर के बारे में आरोपी विजेन्द्र मीना से पूछा गया तो उसने बताया कि रजिस्ट्री जिल्द रजिस्टर वर्ष 2003 का है। रजिस्टर को स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार से खुलवाया गया तो रजिस्टर के पेज नम्बर 174 व 175 के मध्य 500-500 रूपये के 2 नोट मिले जिनको गवाह श्री मनोज कुमार से उठवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान से नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 2 नोट कुल 1000/-रूपये मिले। नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वति राशि को गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उप पंजीयक कार्यालय परिसर से श्री जलसिंह कानि. 248 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। रजिस्टर जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क C-1 व C-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। रूई के पोहे को सुखाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क- " C" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया तथा रजिस्टर के पेज नम्बर 174 व 175 पर परिवादी गोपाल लाल साहू, आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना व स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार व श्री विकास वैष्णव के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रजिस्टर को गवाह श्री मनोज कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। उप पंजीयक कार्यालय में भीड एकत्रित हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मयं डिटेनशुदा आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना मय सरकारी वाहन मय चालक के उप पंजीयक कार्यालय टोक से रवाना होकर ए.सी.बी. चौकी टोक पहुचा। जहाँ मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाह मनोज कुमार के पास पूर्व में रखवाये गये रजिस्टर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क- " R" अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया तथा पूर्व मे गवाह श्री मनोज कुमार के पास रखवाई गई रिश्वति राशि 1000/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वति राशि एक कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर

करवाकर मार्क " N" अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक के ग्राम छोटी उदई जिला सवाईमाधोपुर में स्थित आवास की तलाशी हेतु निर्देशानुसार श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी सवाई माधोपुर को निवेदन किया गया। दौराने कार्यवाही तलबशुदा श्री मोहनलाल रैगर उप पंजीयक टोक उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आये तथा परिवादी श्री गोपाल लाल साहु के भारतीय मुद्रांक विक्रेता लाईसेन्स नम्बर 79/2011 की फोटोप्रति व लाईसेन्स से सम्बन्धित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की। जिसका अवलोकन किया गया तो पाया कि आवेदक श्री गोपाल लाल साहु द्वारा दिनांक 21.03.2025 को परिवादी द्वारा आवेदन पत्र मय चालान प्रति के पेश किया था। जिस पर कार्यालय लिपिक श्री विजेन्द्र मीना द्वारा दिनांक 21.03.2025 को रसीद संख्या 202502042001443 बनायी गयी थी। आवेदक द्वारा समय पर चालान व आवेदन पत्र कार्यालय में पेश नही करने के कारण उसकी पेलेन्टी स्वरूप 100 रूपये की चालान रसीद को कार्यालय हाजा पर पेश की थी। अभी आवेदक का लाईसेन्स नवीनीकरण होना शेष है। परिवादी से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज की फोटोप्रतियाँ पर गवाहान व सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री गोपाल लाल साहु द्वारा पूर्व मे रिश्वति राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री गोपाल लाल साहु व आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडियॉ अकब से तैयार करवायी जायेगी। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री अजित सिंह कानि. 56 से करवाई गई। जिसके पेन ड्राईव पृथक से तैयार किये जायेगे। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी जिला एवं सेशन न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, टोक में भारतीय मुद्रांक विक्रेता का कार्य करता है। जिसका परिवादी के पास वैध लाईसेन्स है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रेल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक नियत है। लाइसेन्स का हर वर्ष नवीनीकरण उप पंजीयक टोक एवं उप महानिरीक्षक मुद्रांक विभाग अजमेर से होता है। इस वर्ष भी परिवादी द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन 100 रूपये का चालान दिनांक 08.03.2025 को कटवा दिया था तथा लाईसेन्स नवीनीकरण की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। दिनांक 17.03.2025 को परिवादी कार्यालय उप पंजीयक टोक में जाकर डीलिंग लिपिक श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक से मिला तथा अपने लाईसेन्स नवीनीकरण के लिये बातचीत की तो विजेन्द्र कुमार मीना ने परिवादी से कहा कि 100 रूपये के विलम्ब शुल्क का ओर चालान कटवाना पडेगा तथा 2000 मुझे देने पडेगे। परिवादी ने विजेन्द्र कुमार मीना से कहा कि 2000 रूपये किस बात के देने पडेगे तो विजेन्द्र कुमार मीना ने कहा कि जब मुझे आप 2000 रूपये दोगे तब ही आपका लाइसेन्स नवीनीकरण होगा नही तो मैं आपका लाइसेन्स नवीनीकरण की अभिशंषा उप पंजीयक टोक से नही करवाउगाँ। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 24.03.2025 को रिश्वति राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी के भारतीय मुद्रांक विक्रेता का लाइसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये रिश्वति राशि की मांग की तथा 1500 रूपये रिश्वति राशि लेना तय किया तथा उसी समय 500 रूपये रिश्वति राशि परिवादी से प्राप्त की तथा शेष राषि 1000 रूपये आज दिनांक 25.03.2025 को देने हेतु कहा। आज दिनांक 25.03.2025 को आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक द्वारा रिश्वति राशि मांग के अनुसरण में 1000 रूपये रिश्वति राशि अपने कार्यालय के रिकार्ड रूम की टेबल पर रखे रजिस्टर में रखवाये गये। जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। रजिस्टर जहाँ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वति राशि सावधानी बरतते हुये अपने कार्यालय से रिकार्ड रूम में ले जाकर उसकी टेबल पर रखे रजिस्टर में रखवाकर प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जगमोहन मीना जाति मीना निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर अजित सिंह कानि. 56 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। उक्त फर्द मेरे निर्देशन में कानि. 256 श्री ईश्वर प्रकाश ए.सी.बी. टोक से कार्यालय लेपटाप से तैयार करवायी गयी। उक्त फर्द समय 1.15 पी.एम. पर प्रारम्भ कर समय 3.15 पी.एम. पर समाप्त की गई। समय 3.25 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जगमोहन मीना जाति मीना उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 4.10 पी.एम. पर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.03.2025 व रिश्वति राशि लेन-देन वार्ता दिनांक 25.03.2025 की जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड मे दर्ज है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को दोनो गवाहान के समक्ष श्री मोहनलाल रैगर उप पंजीयक टोक को चलाकर सुनाई गई तो श्री मोहनलाल रैगर उप पंजीयक टोक ने उक्त वार्ता को सुनकर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वति राशि लेन-देन वार्ता मे एक आवाज श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक की होना बताया।

फर्द पहचान आवाज पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 4.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय स्वतंत्र गवाह मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना मय कार्यालय लेपटाप मय प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपी के किराये के निवास स्थान मकान नम्बर बी-4 ज्योति भवन, सीता वाटिका, कंकाली माता के पास, टोक की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 4.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा आरोपी के निवास स्थान पर पहुचा। जहां पर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब की गई। समय 5.30 पी.एम. पर बाद खाना तलाशी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिए रवाना हुआ। समय 5.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा ए.सी.बी. चौकी टोक आया। समय 5.50 पी.एम. पर दिनांक 24.03.2025 को परिवादी श्री गोपाल लाल साहु व आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना के मध्य हुई रूबरू रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की तीन सीडियो तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1 व A-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। समय 7.30 पी.एम पर आज दिनांक 25.03.2025 को रूबरू परिवादी श्री गोपाल लाल साहु व आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना के मध्य हुई रिश्वति राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री राजकुमार कानि. 160 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के तीन सीडियो तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1 व B-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी. डी को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। इसी दौराने श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, जलसिंह कानि. 248 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षित सुरक्षार्थ जमा करवाने की हिदायत कर रवाना किया। समय 8.30 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.03.2025 व रिश्वत लेन-देन वार्ता दिनांक 25.03.2025 मे परिवादी श्री गोपाल लाल साहु व आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक के मध्य हुई वार्ताओ के मूल मेमोरी कार्डस 16 GB KDM कम्पनी के नंग 2 को अलग-अलग कवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क M अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.55 पी.एम.पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय जलसिंह कानि. 248 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह के आरोपीगण विजेन्द्र कुमार मीना का स्वास्थय परीक्षण करवाकर आरोपी को कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 9.10 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री अजित सिंह कानि. 56 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री अजित सिंह कानि. 56 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री अजित सह कानि. 56 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटाप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 3 पेनड्राईव 16-16 जी. बी. PENDANT कम्पनी के तैयार करवाये गये। दो पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। समय 10 पी.एम पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 1000 रूपये मार्क N सिल्ड चिट शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, C-1, C-2 शील्डशुदा पैकिट मार्क- C शील्डशुदा पैकिट मार्क- R सिल्डचिट शुदा, 04 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में सिल्डचिट मार्क A-1, A-2, B-1, B-2, तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिटशुदा मेमोरी कार्डस मार्क- M दो पेनड्राईव को पृथक-पृथक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क P-1, P-2 तथा सफेद कपडे की थैली में सिल्ड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क- M-1, इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 10.15 पी. एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमुना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमुना व नाशानी नमुना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.35 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल लाल साहु व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री विकास वैष्णव व मनोज कुमार को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 10.40 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि.

160 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11 पी.एम. पर श्री अजित सिंह कानि. 56 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.20 पी.एम पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट, मेमोरी कार्ड, सीडियाँ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मेमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से पाया कि परिवादी जिला एवं सेशन न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर, टोक में भारतीय मुद्रांक विक्रेता का कार्य करता है। जिसका परिवादी के पास वैध लाईसेन्स है जिसकी अवधि दिनांक 1 अप्रेल 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक नियत है। लाइसेन्स का हर वर्ष नवीनीकरण उप पंजीयक टोक एवं उप महानिरीक्षक मुद्रांक विभाग अजमेर से होता है। इस वर्ष भी परिवादी द्वारा लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन 100 रूपये का चालान दिनांक 08.03.2025 को कटवा दिया था तथा लाईसेन्स नवीनीकरण की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर दी गई थी। दिनांक 17.03.2025 को परिवादी कार्यालय उप पंजीयक टोक में जाकर डीलिंग लिपिक श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक से मिला तथा अपने लाइसेन्स नवीनीकरण के लिये बातचीत की तो विजेन्द्र कुमार मीना ने परिवादी से कहा कि 100 रूपये के विलम्ब शुल्क का ओर चालान कटवाना पडेगा तथा 2000 मुझे देने पडेगे। परिवादी ने विजेन्द्र कुमार मीना से कहा कि 2000 रूपये किस बात के देने पडेगे तो विजेन्द्र कुमार मीना ने कहा कि जब मुझे आप 2000 रूपये दोगे तब ही आपका लाइसेन्स नवीनीकरण होगा नही तो मैं आपका लाइसेन्स नवीनीकरण की अभिशंषा उप पंजीयक टोक से नही करवाउगॉ। जिस पर ब्यूरो द्वारा आरोपी से दिनांक 24.03.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी के भारतीय मुद्रांक विक्रेता का लाइसेन्स नवीनीकरण करवाने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 1500 रूपये रिश्वत राशि लेना तय किया तथा उसी समय 500 रूपये रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त की तथा शेष राशि 1000 रूपये आज दिनांक 25.03.2025 को देने हेतु कहा। आज दिनांक 25.03.2025 को आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक द्वारा रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 1000 रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय के रिकार्ड रूम की टेबल पर रखे रजिस्टर में रखवाये गये। जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुयी। उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वंय के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी से रिश्वत राशि सावधानी बरतते हुये अपने कार्यालय से रिकार्ड रूम में ले जाकर उसकी टेबल पर रखे रजिस्टर में रखवाकर प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः उक्त आरोपी विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जगमोहन मीना जाति मीना उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक के विरूद् धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक.....................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जगमोहन मीना जाति मीना उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट छोटी उदई तहसील व पुलिस थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक टोक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कंचन भाटी, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ईंटे, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 377 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक374-77 दिनांक 26.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** **(जाँच अधिकारी का नाम):** KANCHAN BHATI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/03/2025 13:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/11/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)